



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 83-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 11, 2022 (VAISAKHA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2022

संख्या 47/6/2022-4एच०बी० II.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप-ग) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998, के नियम 5 में, 'सत्रह' शब्द के स्थान पर 'अठारह' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राजीव अरोड़ा,  
अवर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT  
HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2022

No. 47/6/2022-4HB II.— In Exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department--Laboratory Technician (Group-C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department--Laboratory Technician (Group-C) Service (2nd Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Health Department-Laboratory Technician (Group-C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the word "Seventeen" the word 'eighteen' shall be substituted.

RAJEEV ARORA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Health Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2008

संख्या सा० का० नि० 29/संवि०/अनु० 309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग—प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग—प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग—प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

3

“(i) 10+2 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सहित तथा हरियाणा राज्य से मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन में एक वर्ष का डिप्लोमा ;  
अथवा

मैट्रिक सहित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा ;

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी या संस्कृत।”।

अनुराधा गुप्ता,  
वित्तयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**

**HEALTH DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th August, 2008

**No. G.S.R. 29/Const./Art. 309/2008.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department—Laboratory Technician (Group C) Service Rules, 1998, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Health Department—Laboratory Technician (Group C) Service (Amendment) Rules, 2008.

2. In the Haryana Health Department—Laboratory Technician (Group C) Service Rules, 1998, in Appendix B, against serial number 3, under column 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

**3**

---

“(i) 10+2 with Physics and Chemistry and one year Laboratory Technician Diploma from institution recognized by Haryana State.

**OR**

Matric with Laboratory Technician Diploma from institution recognized by State Technical Education Board;

(ii) Hindi or Sanskrit upto Matric standard.”.

**ANURADHA GUPTA,**

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Health Department.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 फरवरी, 1998

संख्या सा.का.नि. 54/सवि./अनु.309/98. -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

**भाग I सामान्य**

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं ।

व्यक्ति नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो, --

परिभाषाएं ।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं, प्रवरण बोर्ड ;

(ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है, —

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है --

- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
- (ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाणपत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या दार्जिलिंग विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग प्रयोगशाला तकनीशियन (ग्रुप ग) सेवा ।

#### भाग -II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में दर्शाए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो, --

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उनके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भान्ति परिचित हो, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, या संस्था से सम्बन्धित हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 17 वर्ष से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

6. सेवा में नियुक्तियां महानिदेशक द्वारा की जाएंगी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा, में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

नियुक्ति प्राधिकारी  
योग्यताएं ।  
अयोग्यताएं ।

## 8. कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

## 9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

- (क) वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन की दशा में,—

(i) प्रयोगशाला तकनीशियनों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (ख) बायो-कैमिस्ट की दशा में,—

(i) प्रयोगशाला तकनीशियनों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (ग) प्रयोगशाला तकनीशियन की दशा में,—

(i) 25 प्रतिशत प्रयोगशाला अटैंडेंट से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) प्रयोगशाला अटैण्डेन्ट की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10 (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा ।

परन्तु,—

(क) किसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर व्यतीत की गई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है ; और



(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, —

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो, —

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो, —

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें।

(ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी, परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :--

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए, दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :--

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण, राज्य

सेवा करने का दायित्व ।

सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ; या

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय : परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्विष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस सम्प्रदाय लागू किसी विधि के अधीन अपनाएँ या बनाएँ हों अथवा इसके बाद अपनाएँ या बनाएँ जाएँ ।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा करने के निर्देश करे, टीका लगवाएगा और पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

17. वहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है । ढील देने की शक्ति

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि विशेष उपबन्ध । नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध आरक्षण । में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप निरसन तथा व्यावृत्ति । कोई नियम जो इन नियमों के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व लागू हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
1	वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन	—	13	13	1,400-40-1,600-50-2,300-द. रो. -60-2,600 रुपये
2	बायो कैमिस्ट	—	7	7	1,400-40-1,600-50-2,300-द. रो. -60-2,600 रुपये
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	38	589	627	1,350-30-1,440-40-1,800-द. रो-50-2,200 रुपये
4	प्रयोगशाला अटेंडेंट	10	30	40	950-20-1,150-द. रो. 25-1,500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	वरिष्ठ प्रयोग-शाला तकनीशियन	—	प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव;
2	बायो-कैमिस्ट	—	प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव;
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	<p>(1) 10+2 या उसके समकक्ष रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के साथ।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा।</p> <p>(3) मैट्रिक तक हिन्दी।</p>	<p>पदोन्नति के रूप में प्रयोगशाला अटेंडेंट का 5 वर्ष का अनुभव;</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा रखने वाला।</p> <p>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में या उसके समकक्ष।</p> <p>(1) 10+2 या उसके समकक्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सहित</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला तकनीशियन का डिप्लोमा।</p> <p>(3) मैट्रिक तक हिन्दी।</p>

परिशिष्ट ग  
[ देखिए नियम 14(1) ]

सं	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय अन्तिम प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

महानिदेशक  
सरकार

1. छोटी शस्तियां

(i) व्यक्तिगत फाइल (आवरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;

(ii) परिनिन्दा;

(iii) पदोन्नति रोकना;

(iv) आदेशों की उपासी या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यक्ति निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।

2. बड़ी शस्तियां

(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना।

(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि नया सरकारी कर्मचारी ऐसी

1 2 3 4 5 6

अवन्ति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या  
ऐसा अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवन्ति उसकी भावी वेतन  
वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं,

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवन्ति जो सरकारी  
कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह  
अवन्त किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी,  
ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवन्त किया  
गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस  
ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त  
निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए  
निरर्थक नहीं होगी;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए  
सामान्यतः निरर्थक होगी।



## परिशिष्ट "घ"

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन	(1) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	महानिदेशक	सरकार
2.	बायो-कैमिस्ट			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन			
4.	प्रयोगशाला अटेंडेंट	(11) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		

वीना ईगलटन,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 4th February, 1998

No. G.S.R. 54/Const./Art. 509/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Health Department Laboratory Technician (Group C) Service, namely :--

PART-I GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department--Laboratory Technician (Group C) Service Rules, 1998. Short title.
2. In these rules, unless the context otherwise requires,-- Definitions.
  - (a) "Board" means the Haryana Subordinate Service Selection Board;
  - (b) "Director General" means the Director General Health Services, Haryana;
  - (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
  - (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
  - (e) "institution" means;
    - (i) any Institution established by law in force in the State of Haryana; or
    - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised university" means,—

- (i) any university incorporated by law in India; or
  - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or
  - (iii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules;
- (g) "Service" means the Haryana Health Department Laboratory Technician (Group C) Service.

#### PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number  
and  
Character  
of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,  
domicile  
and  
character of  
candidates  
appointed to  
service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and

Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e), shall be a person in whose favour a Certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or Institution.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty-five years of age on or before the last date of submission of application to the Board. Age.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Director General. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment: Qualifications.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50%

at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Schedule Castes, backward classes, ex-serviceman and physically handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disquali-  
fications.

8. No person shall be eligible for appointment to any post in Service,--

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of  
recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made --

(a) in the case of Senior Laboratory Technicians,--

(i) by promotion from amongst Laboratory Technicians; or

(ii) by Transfer or Deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Bio-Chemist,--

(i) by promotion from amongst the Laboratory Technician; or

(ii) by transfer or Deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Laboratory Technicians,--

(i) 25% by promotion from amongst Laboratory Attendants; and

(ii) 75% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of Laboratory Attendants,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on the basis of seniority-cum-merit and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Person appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise : Probation.

Provided that,--

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointment authority, be allowed to count towards the period of probation fix under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated, shall, on the completion of the

- prescribed period, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may--
- (a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his Service; and
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
    - (i) revert him to his former posts; or
    - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may--
- (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory--
    - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
    - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occur if appointed against a temporary vacancy; or
    - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy; or
  - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,--
    - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
    - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension if, any, shall not exceed three years.

11. Seniority interest of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service : Seniority.

Provided that where there are different cadres in Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the Seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer :

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same then by the length of their service in the appointment; and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12.(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :--

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or



(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, Leave,  
pension  
and other  
matters.

13. In respect of pay, leave pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline  
penalties  
and appeals.

14.(1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties, and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

16. Every member of service, unless he has already done, so, shall be required to take the oath of allegiance to India to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so. Special provision.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time : Reservations.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the rules, is hereby repealed : Repeal and savings.

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

## APPENDIX A

(See rule 3)

Serial number	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Senior Laboratory Technician	--	13	13	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600
2	Bio-Chemist	--	07	07	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600
3	Laboratory Technician	38	589	627	Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200
4	Laboratory Attendant	10	30	40	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500

APPENDIX B  
(See rule 7)

Sr. No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Senior Laboratory Technician	--	Five years experience as Laboratory Technician.
2	Bio-Chemist	--	Five years experience as Laboratory Technician.
3	Laboratory Technician	(i) 10+2 or its equivalent with physics and Chemistry ; (ii) Laboratory Technician Diploma from recognised institution; (iii) Hindi up to Matric	In case of promotion Five Years experience as Laboratory Attendant having a Laboratory Technician Diploma from recognised institution; in case of transfer/ deputation,--
4	Laboratory Attendant	(i) Matric with Science (Physics and Chemistry) ; and (ii) Hindi up to Matric	(i) 10+2 or its equivalent with Physics and Chemistry; (ii) Laboratory Technician diploma from recognised institution; (iii) Hindi up to Matric (1) Matric or its equivalent with Science (Physics and Chemistry); and (ii) Hindi up to Matric.

## APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Senior Laboratory Technician	Director General	(i) Warning with a copy in the personal file (Character role);	Director General	Government	
2	Bio-Chemist		(ii) Censure			
3	Laboratory Technician		(iii) withholding of promotion;			
4	Laboratory Attendants		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Director  
General

Major penalties

Director  
General

Government

parliament or of  
the Legislature of  
a State; and

(v) withholding of  
increments of pay  
without cumulative  
effect;

(vi) withholding of  
increments of pay  
with cumulative  
effect;

(vii) reduction to a  
lower stage in the  
time scale of pay  
for a specified  
period with further  
directions as to  
whether or not the  
Government employee  
will earn incre-  
ments of pay during  
the period of such  
reduction and  
whether on the  
expiry of such period,  
the reduction will  
or will not have  
the effect of post-  
poning the future  
increments of his  
pay;

(viii) reduction to a lower  
scale of pay,  
grade, post or  
service which shall

---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

---

ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post of service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(ix) compulsory retirement;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

---

APPENDIX D

[See Rule 14(2)]

Serial number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Senior Laboratory Technician	(a) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension.	Director General	Government
2	Bio-Chemist	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
3	Laboratory Technicians			
4	Laboratory Attendants			

VEENA EAGLETON,  
Financial Commissioner and  
Secretary to Government, Haryana,  
Health Department.